

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

Phone no- 01372-252175

पत्रांक 364 / 12-1 , गोपेश्वर,

दिनांक

23 / 07 /

2018।

सेवा में,

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी,

विषय:-

प्रस्ताव सं० FP/UK/Road/19786/2016 राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू-निवाड़ी-खेत-सिलंगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.9 है० सिविल/वन पंचायत/आरक्षित भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भ:-

ई०डी०एस० दिनांक 12.07.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं० 08बी/यूसी०पी०/०६/७६/२०१७/एफ०सी०/६४८ दिनांक ०३.०७.२०१८ से प्रस्ताव का अवलोकन करने पर कतिपय कमियां पायी गई, जिसका निराकरण अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर की पत्र सं० 1125/1सी०(वन) दिनांक 17.०७.२०१८ से निम्नानुसार किया गया है:-

क्र० सं०	प्रस्ताव में कमियां	निराकरण
1.	Incomplete reply to point no- 02 as VLC proceeding of village ulfada and Gharkodi are not found uploaded.	ग्राम स्तरीय समिति (VLC proceedings) में ग्राम उलफाड़ा एवं घरकुड़ी की VLC निर्धारित कॉलम में आनलाईन पार्ट -I के कॉलम K(i) (a) में अपलोड कर दी गयी है। संलग्न:- ग्राम उलफाड़ा एवं घरकुड़ी के ग्राम स्तरीय समिति के प्रपत्र (तीन-तीन प्रतियों में)
2.	Unattended point no .3 as employment details area still incorrect.	पार्ट-I at para e(ii) एवं (iii) में Employment detail संशोधित कर दिया गया है।
3.	uattended point no.4 as CA scheme still shows an estimate of Rs. 6,81,683/- which has not been corrected.	संशोधित सी०ए० स्कीम ऑनलाईन पार्ट II के निर्धारित स्थान में अपलोड किया गया है जो साफ्टवेयर में तकनीकी कारणों से पार्ट II में दर्शा नहीं रहा है। जिसे Additional information के क्रमांक 03 में अपलोड किया गया है। संलग्न:- सी०ए० स्कीम
4.	Again point no.6 S.No. 16 online does not mention whether the case has been recoomended by DFO.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा Recoomendation ऑनलाईन पार्ट II के Additional information- Sr. no.०९ में संलग्न कर प्रेषित है। हार्ड कापी में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। संलग्न:- Recoomendtion की मूल प्रति।
5.	Numbers of trees in part-II are shown as 218 which show difference as compared to hard copy.	ऑनलाईन पार्ट II के पैरा 4 (ii) में प्रस्ताव में संलग्न सूची के अनुसार भर दिया गया है। जिसमें वन भूमि में कुल 230 वृक्ष आ रहे हैं।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भद्रीदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

पत्रांक:-

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:- eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक- 1125 / 1सी0 (वन)
सेवा में,

दिनांक 12/07 / 2018

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

विषय:- प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/19786/2016** राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू-निवाड़ी-खेत-सिलंगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.09 हे0 सिविल/ वन पंचायत/ आरक्षित भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भ:- आपका आनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 12.7.2018
महोदय,

उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र के क्रम में उक्त प्रस्ताव पर लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या निम्नवत है:-

क्र0स0	प्रश्न	उत्तर
1	Incomplete reply to point no. 2 as VLC proceedings of village Ulfada and Gharkodi are not found uploaded.	ग्राम स्तरीय समिति (VLC proceedings) में ग्राम उलफाडा एवं घरकुडी की VLC निर्धारित कालम में आनलाइन अपलोड कर दी गयी है। संलग्न - ग्राम उलफाडा एवं घरकुडी के ग्राम स्तरीय समिति के प्रपत्र (तीन-तीन प्रतियो में) (पेंज नं0 2 से 5)
2	Unattended point no .3 as employment details are still incorrect.	Part -I at para E (ii) & (iii) में Employment detail संशोधित कर दिया गया है।
3	unattended point no. 4 as CA scheme still shows an estimate of Rs. 6,81,683.00/- which has not been corrected.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
4	Again point no. 6, S.NO. 16 online does not mention whether the case has been recommended by DFO.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
5	Numbers of trees in part-II are shown as 218 which show difference as compared to hard copy.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)
12-7-2018

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू-निवाणी-खेत-सिलंगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.210 हे० सिविल वन भूमि, 1.05 हे० वन पंचायत भूमि, 1.680 हे० आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.150 हे० कुल भूमि 3.09 हे० सिविल/वनपंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम का नाम -उलफाडा
तहसील-कर्णप्रयाग, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

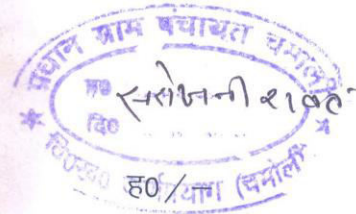
उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू-निवाणी-खेत-सिलंगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.210 हे० सिविल वन भूमि, 1.05 हे० वन पंचायत भूमि, 1.680 हे० आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.150 हे० कुल भूमि 3.09 हे० सिविल/वनपंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम उलफाडा द्वारा दिनांक 3.02.2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम उलफाडा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,
क्षेत्र
विकासखण्ड
ग्राम सचिव
जिला- चमोली



ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23.1

दिनांक 3.02.2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - उलफाडा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	दिलवर सिंह कठौर	दिलवर सिंह
(2)	पुन सिंह कठौर	पुन सिंह
(3)	लक्ष्मण सिंह कठौर	Laxman
(4)	पुन सिंह कठौर	Poon
(5)	दीवान सिंह कठौर	Diwan
(6)	पुन सिंह	Poon
(7)	रघुनाथ सिंह	Raghunath
(8)	पुन सिंह	Poon
(9)	शिवपाल सिंह	Shivpal
(10)	कमल सिंह	Kamal
(11)	मातवर सिंह	Matvar
(12)	राम सिंह	Ram
(13)	राम सिंह कठौर	Ram
(14)	नरेश सिंह	Narash
(15)	रावण	Raavan

ग्राम पंचायत उलफाडा
 २४.०२.२०१६
 दि०
 २४/०२/२०१६
 ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू-निवाणी-खेत-सिलंगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.210 हे० सिविल वन भूमि, 1.05 हे० वन पंचायत भूमि, 1.680 हे० आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.150 हे० कुल भूमि 3.09 हे० सिविल/वनपंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम का नाम -घरकुडी
तहसील-कर्णप्रयाग, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू-निवाणी-खेत-सिलंगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.210 हे० सिविल वन भूमि, 1.05 हे० वन पंचायत भूमि, 1.680 हे० आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.150 हे० कुल भूमि 3.09 हे० सिविल/वनपंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम घरकुडी द्वारा दिनांक 3.02.2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम घरकुडी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/ विकास अधिकारी
क्षेत्र
विभागाध्यक्ष
ग्राम सचिव
जिला- चमोली



ह0/-

ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23.1

दिनांक 3.02.2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - घरकुडी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	देवा सिंह	देवा सिंह
(2)	वारा सिंह	वारा सिंह
(3)	जयवार सिंह	जयवार सिंह
(4)	रमाल सिंह	रमाल सिंह
(5)	बालू सिंह	बालू सिंह
(6)	गोबिन्द सिंह	गोबिन्द सिंह
(7)	दाम सिंह	दाम सिंह
(8)	दरवान सिंह	दरवान सिंह
(9)	राज सिंह	राज सिंह
(10)	कृष्णदत्त सिंह	कृष्णदत्त सिंह
(11)	बालू सिंह	बालू सिंह
(12)	रमाल सिंह	रमाल सिंह
(13)	वारा सिंह	वारा सिंह
(14)	वारा सिंह	वारा सिंह
(15)	मुन्कर सिंह	मुन्कर सिंह

ग्राम पंचायत चमाली
 १४ सितम्बर २०१६
 दि०
 ह०/कर्मप्रयाग विभागीय
 ग्राम प्रधान

प्रपत्र-2.1

भाग-11

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

FP/VK/ROB/19786/216

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान- **बगोसू निवड़ी घेत खिलंगी मोटर मार्ग**

- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र - **उत्तराखण्ड**
 - ii) जिला - **चमोली**
 - iii) वन प्रभाग - **बड़ीनाथ वन प्रभाग, गौपेश्वर**
 - iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) - **3.09 है.**
 - v) वन की कानूनी स्थिति - **अग्राफेड भूमे, वन पंचायत, ग्रिबिल वन,**
 - vi) हरियाली का प्रभाव - **0.3**
 - vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिवाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफओआरएलओ - 8 मोड पर परिगणना भी संलग्न किए जाए - **प्रस्ताव में संलग्न**
 - viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। - **भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट के अनुसार**
 - ix) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी - **0.200 किमी.**
 - x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव बाईन की टिप्पणीयां अनुबन्धित की जाए) - **नहीं**
 - xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजाल की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें। - **नहीं**
 - xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/स्था प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सहित प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो या - **नहीं**
- 8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जाये गर विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। - **हां**
- 9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर ली गये कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहा है। - **नहीं**

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। - प्रस्ताव में संलग्न
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। - प्रस्ताव में संलग्न
- iii. संपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्य-व्यय एजेंसी, समय अनुसूची लागत आदि। - प्रस्ताव में संलग्न
- iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिचय। - प्रस्ताव में संलग्न
- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से संक्षेप प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। - प्रस्ताव में संलग्न

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

- संलग्न

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल
जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

- 803000 ha

i. जिला का वन क्षेत्र।

- 514792 ha

ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से

वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। - 3091.98 ha

iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण

- 5739.80 ha

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

- 616 भागों

(ख) वनेत्तर भूमि पर

31/12/2016 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुये प्रगति

(क) वन भूमि पर - 4250.96 ha

(ख) वनेत्तर भूमि पर - 132.71 ha

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

- जर्नल में संदर्भ की जाती है।

दिनांक 27/12/16

स्थान गोपेश्वर

हस्ताक्षर

नाम

(रवि रत्न पाण्डेय)

उप वन संरक्षक

संयोजित प्रभाग गोपेश्वर